जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5760

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (37) के निर्णयानुसार **शासकीय नेहरू महाविद्यालय, अशोकनगर** को **सत्र 2012-13** के लिये प्रस्तावित/संचालित **बी.ए. कम्प्यूटर, बी.एस-सी. कम्प्यूटर, बी. कॉम. कम्प्यूटर, बी.एस-सी. बायोटेक,** तथा **पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम** के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. परिनियम 27 के अनुसार बी.एस-सी. बायोटेक एवं कम्प्यूटर, बी.ए. कम्प्यूटर एवं बी.कॉम. कम्प्यूटर संचालित करने हेतु विभिन्न प्रयोगशालायें मय वांछित उपकरणों एवं रसायनों से शीघ्र-अति-शीघ्र महाविद्यालय द्वारा विकसित किया जावे।
2. एम.एस-सी. वनस्पति विज्ञान पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु प्रयोगशालाओं को उचित उपकरणों एवं रसायनों से पृथक रूप से विकसित किया जाये। इन प्रयोगशालाओं को बी.एस-सी. के प्रयोगशालाओं से अलग विकसित किया जावे।
3. पी.जी.डी.सी.ए. पाठ्यक्रम हेतु पृथक से कम्प्यूटर लैब को मय लीगल सॉफ्टवेयर को सीटसंख्या को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जावे।
4. प्रत्येक पाठ्यक्रम में नवीन संस्करण की 50-50 शीर्षक पुस्तकें क्रय की जावें।
5. नियमानुसार प्रत्येक पाठ्यक्रम में यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताधारी दो-दो शिक्षकों की नियुक्तियां की जावें।
6. पुस्तकालय हेतु विषयवार चार-चार शोध पत्रिकायें क्रय कर निरन्तरता लाई जावे।
7. वृहद छात्र हित को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय को e-Journals से सुसज्जित किया जावे।
8. महाविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय एक वृहद संगोष्ठी कक्ष मय आधुनिक एवं उपयोगी उपकरणों एवं फर्नीचर के शीघ्र अतिशीघ्र विकसित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, **शासकीय नेहरू महाविद्यालय, अशोकनगर**
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

DEDC : C:\Users\Administrator\Desktop\Adhisoochna.doc - -